

96

Entry

40

अंचल अधिकारी का कार्यालय, बलियापुर (धनबाद)

जमाबंदी रद्द अभिलेख वाद सं- 534 / 2016-17

वाद का प्रकार :- बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि: 1950 की धारा 4(b) के तहत जॉच एवं कार्रवाई से संबंधित।

8/8/16
29/7/16

झारखण्ड सरकार के इमांक-2074/80, दिनांक 13.08.2016 सहपटित श्री अनुज मुखर्जी निदेशक, गू-अर्जन-राह-दिशेय राधिय राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र सं-3-खाणम0निति-119/85/2308/रा0 दिनांक 03.09.2016 एवं राह-पठित राजस्व विभागीय परिपत्र सं-9/4/रा0 दिनांक 09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजसूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की लॉच प्रारम्भ की गई। लॉच के क्रम में हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नलिखित विवरणी की भूमि :-

मौजा बेराकलापुर खान नं० 183 जमा0सं० 104
खाता सं० 98 प्लॉट सं० 1638 रकबा 96.98
एकड़ भूमि जो गैरमजसूआ खास, अंगबाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के खाते को सरकारी भूमि है, जिलकी जमाबंदी उस मौजा के पजी-11 पर जमाबंदी रैत उईला गहरी सि
मू0अ0म0 राह0 आण-बलियापुर
के नाम से कायम है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जॉचोन्नत उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित लॉच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी दिन रक्षम पदाधिकारी के आदेश के/अवेद्य बंदोबस्ती के आधार पर/अवेद्य कोड़कर बंदोबस्ती के आधार पर/अवेद्य लगान निर्धारण के आधार पर/सदा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गई है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज को शक्ति करित करना है।

प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की रजिस्ट्र जमाबंदी अवेद्य प्रतीत होती है, जिलका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि: 1950 की धारा 4(b) के तहत जॉच किया जाना प्राथमिक प्रतीत होता है।

अतएव संबंधित जमाबंदी रैत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त नू-खंड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको जांच पूछा करे, कि उदी उक्त जमाबंदी को अवेद्य मानते हुए बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि: 1950 की धारा 4(b) के तहत लगान प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।

अभिलेख दिनांक 29/8/16 को उत्स्थापित करें।

लेखापित एवं संशोधित

अंचल अधिकारी,
बलियापुर।

अंचल अधिकारी
बलियापुर।

जॉच तालिका हेतु पात्रा
जमाबंदी संख्या संपुन गहरी
23/8/16

29/8/16

अभिलेख अपस्तम्भिका । नैसर्गिक तामिसा के

7/5/18

परन्तु प्रत्युत्तर । जमान्दीकर व्यवस्था में अनुपस्थित । जमान्दीकर को एक और भोका देते हुए अभिलेख नैसर्गिक निर्दिष्ट करें, तथा अभिलेख अपस्तम्भिका के अपस्तम्भिका करें ।

अंशुल अधिकारी
वसिष्ठपुर

2/5/18

अभिलेख अपस्तम्भिका । नैसर्गिक तामिसा के प्रत्युत्तर । जमान्दीकर प्रत्युत्तर में अनुपस्थित । अपने एक उत्तर वार-वार के अनुपस्थिति के लिए प्रतीति तैयार है कि उनसे प्राप्त उत्तर यदि है संक्षिप्त जमान्दीकर अपस्तम्भिका वादी है ।

आतः उप जमान्दीकर को एक प्रत्युत्तर के भी अनुपस्थिति को जानी है ।

अधिकाधिकारी के अभिलेख यदि सुख उप समाप्त, बनावाद को भेजे ।

अंशुल अधिकारी
वसिष्ठपुर

अंचल अधिकारी का कार्यालय, बलियापुर (धनबाद)।

आद अभिलेख संख्या- 534 / 2016 (अन्तर्गत धारा-4(2), BLR Act. 1950)

सूचना

बना:

कुईला महतो पिता- भूनासम महतो

गांव- जावनापुर

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मौजा जावनापुर मौजा नं. 183
खता नं. 98 प्लॉट नं. 1638
एतद 8.9.16 से संबंधित आपके नाम से हल्का नं. VII के राजस्व कर्मचारी
ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से जॉचमरान्त सविद्य प्रतिवेदित किया है।

अतएव आप उक्त संबध में दिनांक 29/8/16 को समय 1:00 बजे पूर्वाह्न में उक्त
भूमि का रिटर्न-1 भूमि बन्दोबस्ती से संबंधित इकुलामा, भूतपूर्व जमींदार द्वार निर्गत जमींदारी
स्वीदा, फार्म M एवं सरकार में जमींदारी निहित होने के बाद सरकार द्वारा निर्गत जमींदारी
स्वीदा, निर्गत परदाना एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल प्रतों/तलपत्रित प्रतों जो आपके उक्त
भूमि पर दावे की सुधें करता हो, के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकाष्ठ में उपस्थित
होकर आना पक्का प्रस्तुत करें।

सन्व रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझ जायेगा कि उक्त संबंध में आपको कुछ नहीं
कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज/सदियों के आधार पर समुचित निर्णय पर पहुंचते हुए दर्ज
जम्बवन्दी के संबध में युक्ति-युक्त निर्णय लेते हुए विद्विस्तान्त अनुसरण कर दी जायेगी।

इसो सख्त साकीद जानें।

मान्य महतो
वकील

बेदास नाथिवाल जी
प्लॉट 24 सपलमहो
29/8/16

29/8/16
अंचल अधिकारी,
बलियापुर।

29/8/16